न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 123/2017/डिक्री

1. धुलिया पिता गागला मीणा
2. मालकी उर्फ कालकी बेवा गागला मीणा
   दोनो निवासी आड हगात फला तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़
3. खानकी पिता गागला पत्नि नारायण मीणा
   निवासी हाल धनेरा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. भुलकी पत्नि भेरिया मीणा
   निवासी आड हगात फला तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार धरियावद जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, धरियावद
दिनांक 07.05.2017 प्रकरण सं. 35/2005

उपस्थित – 1. श्री ललित झंवर – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री बंसतीलाल पोखरना – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक– 16.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के खिलाफ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा बाबत बंटवाडा आराजीयात का पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07/05/2012 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया उस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून एवं तथ्यो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का फैसला अपीलान्टस विरूद्ध किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त आराजीयात पर कभी भी कब्जा नही रहा है। कब्जे के अभाव मे वादिया बंटवाडे की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु निर्णय एवं डिक्री से काफी समय पूर्व हो चुकि फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी

प्रावधानो के विपरीत निर्णय पारित किया है। राजस्थान काश्तकारी कानून की तृतीय अनुसूची मे बंटवाडे के वाद की सुनवाई का अधिकार सिर्फ न्यायालय सहायक कलेक्टर को ही है। जबकि मौजुदा प्रकरण मे निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी धरियावद द्वारा पारित की गयी है जिससे भी उक्त निर्णय क्षैत्राधिकार विहीन होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्राथमिक निरस्त फरमाई जावे और प्रकरण को विधिनुसार सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत हुआ था। निर्णय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया जबकि ऐसा निर्णय पारित करने के लिये सहायक कलेक्टर ही सक्षम है। इसके सम्बन्ध मे उन्होने आरआरडी 1999 पेज 7 की नजीर पेश की। प्रतिवादी संख्या 2 मालकी की मृत्यु वाद के लम्बित रहने के दौरान हुई है। ऐसी सूरत मे उपरोक्त निर्णय एक मृतक के विरूद्ध पारित हुआ है जो निरस्त होने योग्य है। इस सम्बन्ध मे उनके द्वारा आरआरटी 2017 पार्ट– 2 पेज 1047 की नजीर पेश की एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे प्रश्नगत भूमि 1/2 हिस्सा वादी का तथा 1/2 प्रतिवादी संख्या 2 का है। इस सम्बन्ध मे प्रदर्श–4 ए रिकार्ड पर उपलब्ध है। वादिया भुलकी ने मेगिया से भूमि खरीदी है। प्रदर्श संख्या 3 ए नामान्तकरण संख्या 1334 दिनांक 20/04/2004 है जिसमे 1/2 हिस्सा खरीद से आया है। जमाबन्दी प्रदर्श–1 मे 1/2 हिस्सा मूल पिता है। यह वाद बंटवाडे से सम्बन्धित था जिसमे राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवाडा होना था। वाद के लम्बित रहने के दौरान भुलकी की मृत्यु हो गई जिसके सम्बन्ध मे कोई रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय एवं अपील की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। निर्णय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया जिसके सम्बन्ध मे समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होती रही है। बंटवाडे के दावे मे निर्णय पारित करने के लिये उपखण्ड अधिकारी सक्षम है। ऐसी सूरत मे प्राथमिक डिक्री दिनांक 07/05/2017 विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वाद के लम्बित रहते प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु हो चुकी है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री मृतक के विरूद्ध पारित की गई है जो विधिसम्मत नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धरियावद द्वारा प्रकरण संख्या 35/2005 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07/05/2017 अपास्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़